विनियामक और अन्य उपाय

अक्तूबर 2009

आरबीआइ/2009-10/178 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. 29/03.05.33/2009-10 दिनांक 6 अक्तूबर 2009

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार - एमएसएमइडी अधिनियम, 2006 के तहत सेवा के अंतर्गत आनेवाले कार्यकलापों का श्रेणीकरण

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी दिनांक 22 अगस्त 2007 के परिपत्र ग्राआऋवि.सं. आरआरबी.बीसी.20/ 03.05.33/ 2007-08 के साथ संलग्न दिशानिर्देश के भाग 1 के पैरा 2.1.1 और 2.1.2 के अनुसार छोटे उद्यमों को दिए गए ऋण में माइक्रो और छोटे (विनिर्माण और सेवा) उद्यमों को दिए गए ऋण शामिल हैं, बशर्ते विनिर्माण उद्यमों के मामले में संयंत्रों और मशीनरी [भूमि और भवन को तथा लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा अपनी दिनांक 5 अक्तूबर 2006 की अधिसूचना सं. 1722/(ई) में विनिर्दिष्ट मदों को छोड़कर मूल लागत] में निवेश 5 करोड़ रुपए से अधिक न हो तथा सेवा उद्यमों के मामले में उपकरणों (भूमि और भवन और फर्नीचर, फिटिंग्स और ऐसी अन्य मदें जो दी गई सेवाओं से सीधे जुड़ी न हों, या एमएसएमइडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित मदों को छोड़कर मूल लागत) में निवेश 2 करोड़ रुपए से अधिक न हो। साथ ही, पैरा 3.1 और 3.2 के अनुसार खुदरा व्यापार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की एक अलग श्रेणी में आता है।

2. भारत सरकार ने दिनांक 12 जून 2009 के अपने पत्र सं. 5 (6)/2/2009 - एमएसएमई पीओएल के अनुसार माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम, 2006 के तहत सेवाओं के अंतर्गत कार्यकलापों के श्रेणीकरण का उल्लेख किया है।

परीक्षण के बाद यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा दिए गए ऋणों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंदर माइक्रो और छोटे (सेवा) उद्यमों के अंतर्गत शामिल किया जाए बशर्ते, ऐसे उद्यम उपकरणों (भूमि और भवन तथा फर्नीचर,

फिटिंग्स और अन्य ऐसी मदें जो दी गई सेवाओं से सीधे न जुड़ी हों अथवा जो एमएसएमइडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित की गई हों, को छोड़कर मूल लागत) में निवेश के संबंध में माइक्रो और छोटे (सेवा) उद्यमों (अर्थात निवेश क्रमशः 10 लाख रुपए और 2 करोड़ रुपए से अधिक न हो) की परिभाषा को संतुष्ट करते हों। (क) प्रबंध सेवाओं सहित परामर्श सेवाएं; (ख) जोखिम और बीमा प्रबंधन में कंपोजिट ब्रोकर सेवाएं; (ग) पॉलीसीधारकों के मेडिकल बीमा दावों के लिए थर्ड पार्टी प्रशासन सेवाएं (टीपीए); (घ) सीड ग्रेडिंग सेवाएं; (ङ) ट्रेनिंग-कम-इन्क्यूबेटर सेवाएं; (च) शैक्षणिक संस्थाएं; (छ) प्रशिक्षण संस्थाएं; (ज) खुदरा व्यापार; (झ) कानूनी व्यवहार अर्थात् विधि सेवाएं; (ञ) चिकित्सकीय उपकरणों (बिल्कुल नए) में व्यापार; (ट) प्लेसमेंट और प्रबंध परामर्शी सेवाएं; और(ठ) विज्ञापन एजेंसी और प्रशिक्षण केंद्र।

3. तदनुसार, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ''खुदरा व्यापार'' के लिए कोई अलग श्रेणी नहीं होगी। खुदरा व्यापार [अर्थात् अत्यावश्यक वस्तुओं (राशन की दुकान), उपभोक्ता सहकारी भंडार; तथा प्राइवेट खुदरा व्यापारियों को जिन्हें 20 लाख रुपए से अनधिक की ऋण सीमाएं मंजूर की गई हैं, को दिए गए अग्रिम] के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए ऋण अब से छोटे (सेवा) उद्यमों का हिस्सा होंगे।

4. कृपया प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

आरबीआइ/2009-10/181ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी. सं. 31/07. 38.01/2009-10 दिनांक 12 अक्तूबर 2009

सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक

राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक - बचत बैंक खाते पर दैनिक आधार पर ब्याज का भुगतान

कृपया 2 नवंबर 1987 के हमारे निदेश ग्राआऋवि.आरएफ़ डीआइआर.बीसी.53/डी.1- 87/88 का पैरा 3 (iii) देखें जिसके अनुसार बचत जमाराशियों के मामले में ब्याज की गणना प्रत्येक कैलेंडर माह की 10 तारीख से अंतिम दिन तक की अवधि के दौरान जमा खाते में न्यूनतम शेष राशि पर की जाएगी।

2. इसकी समीक्षा करने बाद यह निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल 2010 से बचत बैंक खातों के जमा शेष पर ब्याज की गणना दैनिक उत्पाद आधार पर की जाएगी। सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे संशोधित क्रियाविधि को सुचारु रूप से अपनाने के लिए तौर-तरीके तय करें।

आरबीआइ/2009-10/183 ग्राआऋवि.एसपी.बीसी. सं.30/09.16.01/2009-10 दिनांक 12 अक्तूबर 2009

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाइ) के संशोधित दिशानिर्देश - 2009

कृपया 1 जुलाई 2009 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.एसपी.सं.3/09.16.01/2009-10 देखें जिसमें स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाइ) को आरंभ करने के संबंध में बैंकों को अनुदेश/ दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

2. समीक्षा के बाद आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने एसजेएसआरवाइ योजना में व्यापक रूप से संशोधन किया है। संशोधित दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

3. तथापि, जहां तक संशोधित योजना के अंतर्गत सब्सिडी देने की प्रणाली और सूचना देने के नए प्रारूप का प्रश्न है, हमने आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से

स्पष्टीकरण मांगा है। इस संबंध में भारत सरकार से स्पष्टीकरण /अनुदेश प्राप्त होते ही हम आपको सूचित करेंगे।

4. इस बीच, बैंकों के लिए उक्त प्रलेख में बताए गए अनुसार कार्रवाई करें तथा योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए अपनी शाखाओं / नियंत्रक कार्यालयों को अनुदेश जारी करें।

5. कृपया प्राप्ति सूचना दें।

आरबीआइ.2009-10/186 ग्राआऋवि.पीएलएफएस. सं.33/05.04.02/2009-10 दिनांक 22 अक्तूबर 2009

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

2 प्रतिशत ब्याज सहायता (इंटरेस्ट सबवेंशन) योजना को जारी रखना / वर्ष 2009-10 में अल्पावधि फसल ऋणों के लिए 1 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन सहायता

जैसा कि आप जानते हैं, माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2009-10 के अपने बजट भाषण (पैरा 27) में निम्नानुसार घोषणा की थी:

''मैं किसानों के लिए प्रति किसान 3 लाख रुपए तक अल्पावधि फसल ऋण पर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहायता योजना को जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं। ''

2. इस घोषणा के अनुसरण में, सरकार किसानों को दिए गए 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि ऋण के संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 2 % प्रति वर्ष ब्याज सहायता प्रदान करेगी। फसल ऋण की राशि पर सहायता की गणना अधिकतम एक वर्ष के लिए उसके वितरण / आहरण की तारीख से उसकी चुकौती की तारीख तक अथवा उस तारीख तक जिसके बाद बकाया ऋण अतिदेय हो जाता हो अर्थात खरीफ के लिए 31 मार्च 2010 तथा रबी के लिए 30 जून 2010, इनमें से जो भी पहले हो, की जाएगी। यह सहायता सरकारी क्षेत्र के बैंकों को इस शर्त पर उपलब्ध होगी कि वे आधार स्तर पर 7 % प्रति वर्ष की दर से अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराएं।

3. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे खरीफ और रबी 2009-10 के लिए किसानों को 3.00 लाख रुपए तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण के अपने अनुमान (अलग-अलग) प्रस्तुत करें ताकि हम सरकार को सहायता की संभावित राशि बता सकें। कृपया नोट करें कि ये अनुमान वास्तविक हों।

4. यह भी सूचित किया जाता है कि:

i) सरकार ब्याज सहायता राशि प्रदान कर सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि 30 सितंबर 2009 तथा 31 मार्च 2010 के दावे अर्ध वार्षिक आधार पर एवं 30 जून 2010 को समाप्त होने वाली तिमाही के दावे (रबी के लिए) संबंधित तारीख से एक माह के अंदर प्रस्तुत करें।

ii) 31 मार्च 2010 को समाप्त अर्ध वर्ष तथा 30 जून 2010 को समाप्त तिमाही (रबी के लिए) के दावों के साथ सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र भी होना चाहिए जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष तथा 30 जून 2010 को समाप्त तिमाही (जैसी भी स्थिति हो) के सहायता संबंधी दावे सत्य और सही हैं। दावों का अंतिम निपटान इस प्रमाणपत्र के प्राप्त होने पर ही किया जाएगा।

iii) दावे प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 001 को प्रस्तुत किए जाएं।

5. साथ ही, माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2009-10 के अपने बजट भाषण (पैरा 27) में निम्नलिखित घोषणा की थी:

''मैं सहर्ष यह घोषणा करता हूं कि इस वर्ष के लिए सरकार प्रोत्साहन के रूप में उन किसानों को 1 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान करेगी जो अल्पावधि फसल ऋण की चुकौती निर्धारितानुसार करते हैं। इस प्रकार, इन किसानों के लिए ब्याज दर घटकर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो जाएगी। ''

6. इस घोषणा के अनुसरण में, सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उन किसानों के संबंध में 1 % प्रतिवर्ष की अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान करेगी जो अपना अल्पावधि ऋण उसके वितरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर तत्परता से चुकाते हैं। अल्पावधि उत्पादन ऋण पर यह सहायता उन किसानों को उपलब्ध होगी जिन्होंने वर्ष के दौरान अधिकतम 3 लाख रुपए तक का ऋण लिया है। सहायता की राशि की गणना प्रति किसान खाता ऋण वितरण /आहरण की तारीख से लेकर चुकौती की तारीख तक अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह सहायता उपलब्ध होगी बशर्ते तत्परता से चुकौती करने वाले किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक के ऋण पर लगाई गई ब्याज दर 6 % प्रति वर्ष हो। यह प्रक्रिया तत्परता से चुकौती करने वाले किसानों और ऋण देने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए अपनाई गई है ताकि लाइन ऑफ क्रेडिट निर्विघ्न चलती रहे और किसानों को वर्ष भर संस्थागत ऋण प्राप्त होता रहे।

7. अत: यह सूचित किया जाता है कि :

i) सरकार यह सहायता प्रदान कर सके, इसके लिए बैंक, जैसा कि पहले बताया गया है, किसानों द्वारा तत्परता से चुकौती किए जाने के बाद ही 1% अतिरिक्त सहायता की राशि किसानों के खातों में जमा करें तथा उसकी प्रतिपूर्ति बाद में प्राप्त करें। बैंक वर्ष 2009-10 के लिए खरीफ और रबी दोनों से संबंधित दावों को शामिल करते हुए संपूर्ण वर्ष के लिए एकबारगी समेकित दावे 31 जुलाई 2010 तक प्रस्तुत करें।

ii) दावों के साथ सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र भी होना चाहिए जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि 31 मार्च 2010 को समाप्त संपूर्ण वर्ष के दावे सत्य और सही हैं।

iii) दावे प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 001 को प्रस्तुत किए जाएं।

8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के संबंध में नाबार्ड अलग से परिपत्र जारी करेगा।

आरबीआइ/2009-10/191 शबैंवि.बीपीडी.सं.16/09.22.010/2009-10 दिनांक 26 अक्तूबर 2009

मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

श.स.बैंक - आवास परियोजनाओं के लिए वित्त -संपत्ति के बंधक के संबंध में जानकारी का प्रकटन

आवास परियोजनाओं के लिए वित्त - प्रकटन संबंधी नियम और शर्तों के खंड को पुस्तिकाओं / विवरणिकाओं/ विज्ञापनों में शामिल करना - संपत्ति के बैंकों के पास बंधक रखे जाने के बारे में जानकारी देना

आवास योजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराते समय बैंकों द्वारा सावधानी बरतने संबंधी 1 जुलाई 2009 के हमारे परिपत्र शबैंवि.पीसीबी.एमसी.सं.2 / 09.22.010/ 2009-10 (आवास वित्त पर मास्टर परिपत्र) का पैरा 9 और अनुबंध 1 देखें।

2. माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के सम्मुख आए एक मामले के संबंध में माननीय न्यायालय ने यह कहा कि आवास / विकास परियोजना को वित्त प्रदान करने वाले बैंक को विकासकों/ मालिकों द्वारा जनसाधारण को फ्लैट तथा संपत्ति की खरीद हेतु आह्वान करते हुए जारी की जाने वाली पुस्तिका, प्रचार सामग्रियों में प्लॉट पर स्थित बैंक के प्रभार/ अथवा प्लॉट पर स्थित अन्य किसी देयता के बारे प्रकट करने के लिए जोर देना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह बैंक द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले ऋण के नियम और शर्तों का भाग होना चाहिए।

3. उक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए शहरी सहकारी बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि पात्र आवास योजनाओं के लिए वित्त की मंजूरी करते समय वे नियम और शर्तों में निम्नोक्त बातें शामिल करें:

i. बिल्डर/ डेवलपर / कंपनी अपनी पुस्तिका/ विवरणिका आदि में उस/ उन बैंकों के नाम का उल्लेख करेंगे जिनके पास संपत्ति बंधक रखी गई है।

ii. बिल्डर/ डेवलपर/ कंपनी किसी योजना को समाचार पत्र / पत्रिका आदि में प्रकाशित करते समय बंधक संबंधी जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करेंगे।

iii. बिल्डर/ डेवलपर/ कंपनी अपनी प्रचार सामग्रियों/ विवरणिकाओं में इस बात का उल्लेख करेंगे कि फ्लैट/ संपत्ति की बिक्री के संबंध में यदि बंधकग्राही बैंक का अनापत्ति प्रमाणपत्र/ अनुमति की आवश्यकता हो तो वे उसे उपलब्ध कराएंगे।

4. बैंकों को उक्त नियम और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी सूचित जाता है जब तक बिल्डर/ डेवलपर/ कंपनी द्वारा उक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है तब तक उन्हें निधि जारी न करें।

आरबीआइ /2009-10/193 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.1437/ 02.01.005/2009-10 दिनांक 27 अक्तूबर, 2009 कार्तिक 4, 1931(शक)

सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा

कृपया आप दिनांक 15 नवंबर, 2008 का हमारा परिपत्र सं. मौनीवि.310/ 07.01.279/ 2008-09 देखें। जैसा कि उसमें बताया गया है, निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा की पात्रता सीमा द्वितीय पुनर्वित्त पखवाड़े के अंत की स्थिति के अनुसार पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया रुपया निर्यात ऋण के वर्तमान 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गयी है।

2. आज घोषित की गयी मौद्रिक नीति 2009-10 की द्वितीय तिमाही समीक्षा में दर्शाये गये अनुसार यह निर्णय किया गया है कि निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा की पात्रता सीमा पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत की स्थिति के अनुसार पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया रुपया निर्यात ऋण के 50 प्रतिशत के स्तर से कम करके तत्काल प्रभाव से 15 प्रतिशत कर दी जाय।

3. दिनांक 1 जुलाई, 2009 के मास्टर परिपत्र सं. मौनीवि.4627/07.01.279/2009-10 के अनुबंध III में दिए गए रिपोर्टिंग फार्मेट के भाग 'अ' में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है तथा वह संलग्न है।

परिशिष्ट III
रिपोर्ट करने का प्रारूप

फार्म डीएडी 389

बैंक का नाम____________________

________________ को समाप्त पखवाड़े के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमा को दर्शाने वाला विवरण

भाग - अ

(लाख रुपए में)

1.

रिपोर्ट करने के लिए नियत दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को बकाया निर्यात ऋण *

2.

निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमा (मद सं. 1 का 15 प्रतिशत)

*पुनर्वित्त सीमा प्रयोजन हेतु बकाया निर्यात ऋण की राशि का निर्धारण सकल बकाया निर्यात ऋण से अन्य बैंकों / एक्जिम बैंक / वित्तीय संस्थाओं के पास पुनर्भुनाई किए गए निर्यात बिलों, निर्यात ऋण जिसके लिए नाबार्ड / एक्जिम बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त किया गया है, विदेशी मुद्रा में प्राप्त पोतलदानपूर्व ऋण (पीसीएफसी), 'निर्यात बिल की समुद्रपार पुनर्भुनाई' योजना के अंतर्गत भुनाई/ पुनर्भुनाई किए गए निर्यात बिलों, अतिदेय रुपया निर्यात ऋण और पुनर्वित्त के लिए पात्र न होने वाले अन्य निर्यात ऋण घटाए जाते हैं।

आरबीआइ /2009-10/194 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी. 1438/02.01.005/2009-10 दिनांक 27 अक्तूबर, 2009

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

विशेष पुनर्वित्त सुविधा

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा

कृपया आप भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(3 बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा से संबंधित दिनांक 3 नवंबर 2008 के अपने परिपत्र संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.309/02.01.009/2008-09 और दिनांक 22 अप्रैल, 2009 का मौनीवि.बीसी.322/02.01.009/ 2008-09 देखें। इस सुविधा के अंतर्गत रिजर्व बैंक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) उनके दिनांक 24 अक्तूबर, 2008 की कुल मांग और मीयादी देयताओं के 1.0 प्रतिशत के समकक्ष पुनर्वित्त की आपूर्ति 90 दिनों की अधिकतम अवधि तक चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो दर पर करता है। वे उक्त पुनर्वित्त को लचीलेपन से आहरण और चुकौती कर सकते हैं।

2. मौद्रिक नीति 2009-10 की द्वितीय तिमाही समीक्षा में निर्दिष्ट किए गए अनुसार इस सुविधा को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निणय लिया गया है। तदनुसार बैंक इस सुविधा के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से नया पुनर्वित्त प्राप्त नहीं कर सकते। इस सुविधा के अंतर्गत यदि कोई बकाया हो तो उसकी चुकौती दिनांक 3 नवंबर, 2008 के परिपत्र संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.309/02.01.009/ 2008-09 में दिये गए अनुसार, राशि के उपयोग में लाने के प्रथम दिन से 90 दिनों के निर्धारित समय के भीतर की जाए।

एमपीडी.बीसी.325/07.01.279/2009-10 दिनांक 27 अक्तूबर 2009

मौद्रिक नीति 2009-10 की द्वितीय तिमाही समीक्षा

(विकासात्मक तथा विनियामक नीतियों की समीक्षा सहित)

कृपया बुलेटिन का मौद्रिक नीति वक्तव्य 2009-10 का भाग देखें।

आरबीआइ/2009-10/197 मौनीवि.बीसी. 326/ 07.01.279/2009-10 दिनांक 28 अक्तूबर 2009

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा

कृपया हमारा परिपत्र सं. एमपीडी.बीसी.323/ 07.01.279/2008-09, 28 अप्रैल 2009 देखें जिसके अनुसार 270 दिनों तक के पोतलदानपूर्व रुपया निर्यात

ऋण तथा 180 दिनों तक के पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज की दर बेंचमार्क मूल उधार दर से 2.5 प्रतिशत अंक कम पर निर्धारित की गई है जो31 अक्तूबर 2009 तक लागू है।

2. उपर्युक्त व्यवस्था की विधिमान्यता 30 अप्रैल, 2010 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है (अनुबंध)।

3. कृपया प्राप्ति-सूचना भेजें।

अनुबंध

श्रेणी	**1 नवंबर 2009 से लागू (30 अप्रैल 2010 तक)**
पोतलदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण	
(i) 270 दिन तक	बेंचमार्क मूल उधार दर से 2.5 प्रतिशत अंक कम से अनधिक
पोतलानोत्तर रुपया निर्यात ऋण	
(क) मांग बिलों पर पारवहन अवधि के लिए (फेडाई द्वारा यथानिर्दिष्ट)	बेंचमार्क मूल उधार दर से 2.5 प्रतिशत अंक कम से अनधिक
(ख) 180 दिन तक के मीयादी बिल	बेंचमार्क मूल उधार दर से 2.5 प्रतिशत अंक कम से अनधिक

बीपीएलआर :बेंचमार्क मूल उधार दर

टिप्पणी : 1. चूँकि ये अधिकतम दरें हैं, अत: बैंक इन अधिकतम दरों से कम कोई भी दर लगाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

2. निर्धारित अवधि से अधिक अवधि के उपर्युक्त श्रेणी के ऋणों पर ब्याज की दरें नियंत्रण-मुक्त हैं।